[भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: , 2018

अधिसूचना

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 जहां तक उसका संबंध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में हिन्दी अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में हिन्दी अधिकारी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में हिन्दी अधिकारी, भर्ती नियम, 2018 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति,
   (क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
   (ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।
   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हिन्दी अधिकारी	• 01 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, (समूह 'ख') अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु में 5 वर्ष तक की छूट। नोट 1: आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख भारत मे आवेदन पत्र प्राप्त करनेकी अंतिम तारीख होगी (किंतु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्धाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पंगी और स्पिति जिले, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख नहीं)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से	लागू नहीं	सीधी भर्ती हेतु 2 वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थांतरण जो सीधी भर्ती द्वारा भरा गया है	प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थांतरण () नियमित आधार पर अनुरूप पदधारक; अथवा () पे-मैट्रिक्स के छठें स्तर में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित; () पे-मैट्रिक्स के छठें स्तर में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित; () कॉलम (7) के तहत सीधी भर्तियों के लिए विनिर्दिष्ट कार्यकारी योग्यता व अनुभव धारक

डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के रूप में हिन्दी परीक्षा माध्यम के रूप में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के रूप में अंग्रेजी परीक्षा माध्यम के रूप में मास्टर डिग्री; अथवा हिन्दी में शब्दावली कार्य में और/अथवा संसदीय कार्य में हिन्दी से अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य में 5 वर्ष का अनुभव;				बाह्य संवर्ग के साथ ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा सहित विभागीय हिन्दी अनुवादक ग्रेड-I पर भी विचार किया जाएगा यदि वह नियुक्ति हेतु चुना गया या गयी है तो इसे प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने को मान्यता दी जाएगी। नोट-1:- फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं है। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी पात्र नहीं होंगे। (कुछ अथवा कुछ अन्य संगठनों अथवा केन्द्र सरकार के विभाग ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के

अथवा हिन्दी में शिक्षण अनुसंधान, पत्रकारिता में लेखन का 5 वर्ष का अनुभव नोट 1:- अभ्यर्थी के योग्य पाए जाने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है। नोट 2:- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का मत हो कि यदि दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं हो। वांछनीय:- (i) संस्कृत और/अथवा				अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान। (ii) प्रशासनिक अनुभव। (iii) टिप्पण और प्रारूपण हेतु हिन्दी कक्षाएं अथवा कार्यशाला के आयोजन का अनुभव		—		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
(1) निदेशक, के.स्वा. योजना (मुख्यालय), के.स.स्वा.यो.– अध्यक्ष (2) निदेशक, प्रशासन एवं सतर्कता – सदस्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उपनिदेशक/अवर सचिव (प्रशासन)-सदस्य केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, - सदस्य केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (मुख्यालय)	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

फा.सं. ए-12018/01/2018-सीजीएचएस-I

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव

नोट: जीएसआर के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रधान नियम प्रकाशित किए गए थे।